

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-पिथौरागढ़

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक

200/ग्रा0नि0वि0/ 2017-18/दिनांक 25.05.2017।

विषय:-

गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.77 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग को प्रत्यावर्तन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3548 /FP/UK/ROAD/17778/2016 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/17778/2016 में सभी आपत्तियों का बिन्दुवार सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

प्रश्न/आपत्ति	उत्तर
1-प्रस्ताव के फार्म-ए के भाग -1-बी-2.4 में ऑनलाइन मक डिस्पोजल का कम्पोनेंट वाइज ब्रेकअप भरकर अपलोड नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के फार्म-ए के भाग-1-बी-2.4 में प्रस्ताव में ऑनलाइन मक डिस्पोजल का कम्पोनेंट वाइज ब्रेकअप कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।
2-आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के समस्त बिन्दु सिविल सोयम एवं वन पंचायत के अंतर्गत पड़ते हैं। चूंकि यह प्रस्ताव 7.00 मी० चौड़ाई में गठित किया है तथा समस्त मक डिस्पोजल के बिन्दु इस प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि की चौड़ाई के अन्तर्गत ही आते हैं तथा मक डिस्पोजल हेतु आवश्यक क्षेत्रफल निर्माणाधीन सड़क के प्रस्तावित क्षेत्रफल के अंतर्गत ही पड़ता है का मक डिस्पोजल प्लान अपलोड करने का कष्ट करें।	मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के समस्त बिन्दु सिविल सोयम एवं वन पंचायत के अन्तर्गत पड़ते हैं। चूंकि यह प्रस्ताव 7 मी० की चौड़ाई में गठित किया गया है तथा समस्त मक डिस्पोजल के बिन्दु इस प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि की चौड़ाई के अन्तर्गत ही आते हैं तथा मक डिस्पोजल हेतु आवश्यक क्षेत्रफल निर्माणाधीन सड़क के प्रस्तावित क्षेत्रफल के अंतर्गत ही पड़ता है जिसका क्षेत्रफल प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। अतः मक डिस्पोजल प्लान अपलोड किया जा रहा है।
3- ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी की पठनीय मोहर व हस्ताक्षर कर NOC को पुनः अपलोड किया गया है, का उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में प्रयोक्ता ऐजन्सी बताने का कष्ट करें कि अपलोड संशोधित प्रमाण पत्र Additional information कहाँ अपलोड किया गया है।	ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी की पठनीय मोहर व हस्ताक्षर कर NOC को Additional information में अपलोड किया जा रहा है।

भवदीय,


अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-पिथौरागढ़